न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 145/2017

1. खेताराम | पिसरान महीराम उर्फ मेवाराम जाति जाट निवासी लालगढ जाटान
2. कालूराम | तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथी देवी पत्नी रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. विमला देवी पत्नी बहादुरराम पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 01.12.2017

उपस्थितिः—

श्री दिनेश छाबडा अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 2
श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 20.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प सादुलशहर के समक्ष राज. काश्त.अधि. की धारा 88, 188 का पेश कर महीराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए महीराम को विरासतन चक 3 एल.एल.जी., 18 एस.डी.एस. व 23 एस.डी.एस. में वाद पत्र की मद सं. 3 की उपमद 1 से 3 में कुल 59.06 बीघा भूमि प्राप्त होना बताया जिसमें वादीगण का जन्म से ही अपने पिता महीराम के साथ ब.हि.ब. बताया एवं वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में वादीगण को दिनांक 19.04.1972 को जरिये पंजीकृत बंटवारानामा भूमि बांटकर दे दी एवं मुताबिक बंटवारा उक्त मद की उपमद सं. क, ख, ग में वर्णित भूमि प्राप्त हुई। सन् 1972 में वादीगण को प्राप्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का कोई हक व अधिकार

20/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं है। उक्त बंटवारा का अमलदरामद नहीं हुआ। राजस्व कर्मचारी को गलती से महीराम के नाम से चक 3 एल.एल.जी. की आराजी का अमलदरामद वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम ब.हि.ब. कर रखा है जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद पत्र की अनुतोष क से ड. अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जबाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश कर वाद वादीगण खारिज करने एवं काउंटरक्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया। काउंटरक्लेम का जबाब अलग से पेश कर काउंटरक्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 8 वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 01.12.2017 को विवादित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार घोषित कर विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य पर कोई विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। सन् 1972 में पैतृक सम्पत्ति में लड़कियों का कोई हक व हिस्सा नहीं था। अधी. न्यायालय ने पंजीकृत दस्तावेज को नजरअन्दाज कर गवाह की जिरह विसंगति को आधार मानकर तनकी सं. 1 से 5 का एक साथ निर्णय किया है। इसी प्रकार तनकी सं. 6 व 7 का भी निर्णय एक साथ किया है जबकि प्रत्येक तनकी का अलग-अलग निर्णय करना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर वादीगण/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि 19.04.72 का कोई पंजीकृत बंटवारानामा नहीं है। अधी. न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार घोषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

20/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 01.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा दावे का निर्णय विधि विरूद्ध करने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाब दावा के अनुसार 7 तनकियात कायम की गई यथा:-

1. आया वादीगण दावा के अनुतोष की मद सं. (क) के अनुसार घोषणा पाने के अधिकारी हैं। —वादीगण
2. आया वादी दावा के अनुतोष की मद सं. (ख) के अनुसार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। —वादी सं. 1 खेताराम
3. आया वादी दावा के अनुतोष की मद सं. (ग) के अुनसार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। —वादी सं. 2 कालूराम
4. आया वादीगण दावा के अनुतोष की मद सं. (क)(ख)(ग) के अुनसार खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी हैं। —वादीगण
5. आया प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की आराजी को रहन, बैय करने से बाज व ममनु रहे। —वादीगण
6. आया प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पिता महीराम की पैतृक सम्पत्ति के चक नं. 18 एस.डी.एस. व 23 एस.डी.एस. की कुल 32 बीघा 6 बिस्वा आराजी में से अपना-अपना प्रत्येक 1/4 हिस्सा की घोषणा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारिणी है। —प्रतिवादी सं. 1 व 2
7. आया प्रतिवादीगण तीनों चकों 3 एल.एल.जी., 18 एस.डी.एस. व 23 एस.डी.एस. का खाता कायम करवाने के अधिकारी हैं। —प्रतिवादी सं. 1 व 2

इन तनकियात का अधी. न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया कि:-

तनकी सं. 1 से 5:- जो वादी द्वारा सिद्ध की जानी थी परन्तु वादी सं. 1 ने अपने ब्यान में यह बात स्वीकार की है कि सीलिंग कानून से बचने के लिए उपरोक्त बंटवारानामा लिखवाया गया था जबकि हमारी बहनों का हक तो उस समय भी था और आज भी है। हमारा मन-मुटाव चल रहा है। यदि ये जमीन

20/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मांगेगी तो दे देगें। अब हमारा आना–जाना हमारी बहनों के साथ हो गया है केवल सीलिंग से बचने के लिए बंटवारा किया था, हमने इसको इस कारण लागू नहीं करवाया। इस कारण तनकी सं. 1 से 5 वादीगण विफल रहने से तनकी सं. 1 से 5 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी सं. 6 से 7:– जो प्रतिवादी द्वारा सिद्ध की जानी थी। परन्तु प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं। परन्तु वादी सं. 1 ने अपने ब्यान में यह बात स्वीकार की है कि सीलिंग कानून से बचने के लिए उपरोक्त बंटवारानामा लिखवाया गया था जबकि हमारी बहनों का हक तो उस समय भी था और आज भी है। हमारा मन–मुटाव चल रहा है। यदि वे जमीन मांगेगी तो दे देगें। अब हमारा आना–जाना हमारी बहनों के साथ हो गया है, केवल सीलिंग से बचने के लिए बंटवारा किया था, हमने इसको इस कारण लागू नहीं करवाया। इस कारण तनकी सं. 6 से 7 स्वतः ही प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित होती है। तनकी सं. 6 व 7 का निर्णय वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में किया जाता है।

जबकि सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानुसार न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी का निर्णय किया जाना विधिक है जिसकी पालना नहीं हुई है जिसकी वजह से अधी. न्यायालय के निर्णय में कानूनी प्रकियात्मक त्रुटि पायी गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर प्रत्येक तनकी का निर्णय कर वाद का निर्णय गुणावगुण के आधार नये सिरे से किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर